

राजस्व उत्तमाल संख्या 53/2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

मालीद्वी बनाम गीता वजरा

तारीख  
हुक्म

16/11/2022

पभावली पैश हुई। अपीलार्थ अधिवक्ता  
अनुपस्थित। रैसपो. 6, 1, 4 नोटिस तामिल  
आवजूद अनुपस्थित। अपीलार्थ अधि. 6  
पैश दिनांक 27-09-2022 को रैसपो. 6  
2, 3 की तामिली हेतु नये पर के लाध  
पुनः नोटिस पैश करे हेतु अधिवक्ता के  
निवेदन पर अतिम अवसर दिया गया  
तत्पश्चात आर्डिनर पैश दिनांक 21.11.2022  
को अपीलार्थ अधि. ने जर्दी दिया कि  
आगामी पैश पर वाले तामिली रैसपो.  
रैसपो. 2, 3 के नये पर के लाध पुनः  
नोटिस पैश कर देंगे। अपीलार्थ अधि.  
के निवेदन पर आदेशित के पुनः अतिम  
अवसर दिया गया। जिला अपीलार्थ अधि.  
ने आदेशित आदेश की फालतु नहीं है  
आज दिनांक तक रैसपो. 6, 2, 3  
के पुनः नोटिस पैश नहीं किया अतः  
पभावली अदालत धारिरी तलक अदालत पालिका  
के खारिज की जाती है। अधीनस्थ  
आय लक्ष को मूल नाम न रहने, आदेश की  
प्रति के लाध मिलना जाये। पभावली  
दस्तावेज शुभाल होउल दाखिल फालतु हो।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)  
जोधपुर